



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032024-252733
CG-DL-E-08032024-252733

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1073]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945

No. 1073]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2024

का.आ. 1130(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 20 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के परामर्श से उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रयोजन हेतु, थोक मूल्य सूचकांक और विदेशी विनिमय दर के आधार पर आस्तियों के मूल्य और टर्नओवर के मूल्य में राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक सौ पचास प्रतिशत की वृद्धि करती है।

[फा. सं. 05/7/2013-कॉम्प-एमसीए]

मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2024.

S.O. 1130(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 20 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government in consultation with the Competition Commission of India, hereby enhances, on the basis of the wholesale price index and exchange rate of rupee, the value of assets and the value of turnover, by One hundred and fifty percent for the purposes of section 5 of the said Act, from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 05/7/2013-Comp-MCA]

MANOJ PANDEY, Addl. Secy.

1632 GI/2024